अनुसूची–14 फर्म सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से ....तक ।

जिला –गढ़वा विविध वाद सं0 42/2016–17

केश का प्रकार– रैयती भूमि का लगान निर्धारण के संबंध में।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11-01-2021	**आदेश** यह वाद मौजा–गढ़वा थाना–339 खाता संख्या–168 प्लॉट संख्या–1306 रकबा–0.03 5/8 एकड़ भूमि के लगान निर्धारण हेतु प्रारम्भ किया गया था। यह अभिलेख दिनांक–04.11.2016 को खोला गया किन्तु तत्कालीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक के आवेदन पर समर्पित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन को अवलोकन किया। इनके द्वारा प्रतिवेदित है कि भूमि खतियान में रैयती दर्ज है, किन्तु इनके द्वारा खतियान की प्रति संलग्न नही किया गया है। वर्तमान मे हल्का कार्यालय/अंचल कार्यालयों में भी खतियान की उपलब्धता का जांच किया गया किन्तु उपलब्ध नहीं पाया गया। वर्तमान राजस्व उपनिरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि भूमि का खतियान उपलब्ध नहीं है। बिना खतियान की उपलब्धता के यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त भूमि का खतियानी रैयत कौन है (खतियानी है) एवं वर्तमान आवेदक का खतियानी रैयत से क्या संबंध है। साथ ही भूमि/बेलगानी है या लगान के साथ है। आवेदक ने भी संबंधित राजस्व कागजातों को इतने दिनों में भी जमा नहीं किया है। अतः इस वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 11.01.21 अंचल अधिकारी, गढ़वा	

Scanned with CamScanner